

न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 48/2021

दायर दिनांक :- 21.06.2021

अगवान

1. दुर्गालाल पिता रामचन्द्र खाती नि. कुचलवाडा कलां तह. जहाजपुर
2. लेखराज पिता रामकरण गुर्जर नि. कुचलवाडा कलां तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. जयसिंह पिता सोमाराम मीणा नि. सांवतगढ तह. देवली
2. शिमला पत्नि मानसिंह मीणा नि. हनुमाननगर तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री महावीर सनाढ्य, वकील वादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 27.09.2022

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसके अनुसार तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया था कि ग्राम कुचलवाडा कलां प. ह. उँचा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 269/1, 269/3 कुल कित्ता 02 रकबा 0-07 बीघा में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से अनुसार राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नियम 20 में दिये गये अन्य सिद्धान्तों के साथ साथ यथासंभव कब्जे अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे, जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर द्वारा जरिये पत्र दिनांक 07.09.2022 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादीगण भी सहमत है। मेरी विनम्र राय में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित है।


सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)


अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-

ग्राम कुचलवाडा कलां प. ह. उँचा तहसील जहाजपुर

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रूपये)
1	दुर्गालाल पिता रामचन्द्र हि. 106/246 खाती लेखराज पिता रामकरण 140/246 गुर्जर सा. देह खातेदार	269/1	0.0081	माल II	
		269/3 में से	0.0165	माल II	
		कुल किता 2	0.0246		0.11
2.	जयसिंह पिता सोमाराम 106/321 मीणा सा. सांवतगढ, विमला देवी पत्नि मानसिंह 215/321 मीणा सा. देवली खातेदार	269/3 में से	0.0321	माल II	
		कुल किता 1	0.0321		0.14

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 7.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (दामोदर सिंह)
 सहायक कलक्टर,
 जहाजपुर (मालवाडा)
 जहाजपुर (मालवाडा)

डिकी व मुकदमें इब्तादाई

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाबदा यीवानी)

अज अदालत — सहायक कलक्टर मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास — श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

1. दुर्गालाल पिता रामचन्द्र खाती नि. कुचलवाडा कलां तह. जहाजपुर
2. लेखराज पिता रामकरण गुर्जर नि. कुचलवाडा कलां तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. जयसिंह पिता सोमाराम भीणा नि. सांवतगढ तह. देवली
2. शिमला पत्नि मानसिंह भीणा नि. हनुमाननगर तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत — 53, आर. टी. ए.

प्रकरण संख्या :- 48/2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु उदायत व हाजरी श्री महावीर सनाढय का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-

ग्राम कुचलवाडा कलां प. ह. उँचा तहसील जहाजपुर

क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान (रूपये)
1	दुर्गालाल पिता रामचन्द्र हि. 106/246 खाती लेखराज पिता रामकरण 140/246 गुर्जर सा. देह खातेदार	269/1	0.0081	माल II	
		269/3 में से	0.0165	माल II	
		कुल किता 2	0.0246		0.11
2.	जयसिंह पिता सोमाराम 106/321 मीणा सा. सांवतगढ, विमला देवी पत्नि मानसिंह 215/321 मीणा सा. देवली खातेदार	269/3 में से	0.0321	माल II	
		कुल किता 1	0.0321		0.14

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ८.09.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)
जहाजपुर (भीलवाडा)